भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †5117

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2023

अनुसूचित जनजातियों को आवास

†5117. श्री राहुल रमेश शेवालेः

डॉ. के. जयकुमारः

श्री चंद्र शेखर साहूः

डॉ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में समाज के अनुसूचित जनजाति वर्ग को मकान उपलब्ध कराती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मकान उपलब्ध कराए गए है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर ओडिशा में पीएमएवाई-जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आवास के लिए कुल कितनी लागत खर्च की गई है;

(च) इस लक्ष्य को पूरा करने की निर्माण लागत की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार बेघर जनजातीय परिवारों के लिए चरणबद्ध तरीके से आवासों का प्रावधान करने की राष्ट्रीय योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (छ): सरकार, पात्र लाभार्थियों को मकानों (आवासों) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' नामक योजना लागू कर रही है। जैसा कि एमओआरडी द्वारा सूचित किया गया है, प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्यक्षेत्रों सहित), दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के जिलों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-

ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) या निधियन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मनरेगा के साथ अभिसरण में अपने घर के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90/95 मानव दिवस की अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अधिदेशित/अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य आनुषंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण में पानी, एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत एससी/एसटी परिवारों के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई-सहायता, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का न्यूनतम 60% निर्धारित है। इसे स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) में पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की उपलब्धता के अध्याधीन, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आवंटित लक्ष्य का 60% बनाए रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह अनुपात निर्धारित लक्ष्यों के भीतर समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत निर्मित घरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत अनुसूचित जनजाति शीर्ष के तहत निर्मुक्त की गई केंद्रीय सहायता निधियों का विवरण **अनुलग्नक 2** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। पीएमएवाई-जी के तहत पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की दुनिया (संख्या) के भीतर एक बहुस्तरीय प्राथमिकता है। प्राथमिकता, पहले प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्यों में आवास/मकान के अभाव को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर तय की जाती है। परिवारों को प्राथमिकता पहले आवासहीनता के आधार पर दी जाती है, उसके बाद कमरों की शून्य, एक और दो कमरों की संख्या; इसी क्रम में दी जाती है। एक विशिष्ट सामाजिक श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य में, जो परिवार बेघर हैं या कम कमरों वाले घरों में रह रहे हैं, उन्हें अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों से नीचे नहीं गया है।

अनुलग्नक I

"अनुसूचित जनजातियों को आवास" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.04.2023 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या †5117 के उत्तर के भाग (क) से (छ) में संदर्भित अनुलग्नक 1

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए पूरे किए गए आवास (मकान)

(इकाइयां संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अरुणाचल प्रदेश	747	0	2191	2245	1294
2	असम	15364	0	5035	247	27568
3	बिहार	11197	0	73	0	57680
4	छत्तीसगढ़	73128	121492	35391	1	0
5	गुजरात	49475	0	36772	40442	9671
6	हरियाणा	3	0	0	0	28
7	हिमाचल प्रदेश	376	0	132	245	127
8	जम्मू और कश्मीर	7162	0	17549	8578	7569
9	झारखंड	57346	52539	132057	51288	107958
10	केरल	262	0	0	0	448
11	मध्य प्रदेश	135829	218098	246730	241135	200970
12	महाराष्ट्र	50542	32695	131336	7057	46157
13	मणिपुर	0	0	5263	1840	0
14	मेघालय	3409	0	13173	1113	0
15	मिजोरम	1409	0	87	222	3
16	नागालैंड	0	0	1780	0	0
17	ओडिशा	128037	97480	233704	1	0
18	पंजाब	1	0	1	0	47
19	राजस्थान	86318	77127	170693	46595	83048
20	सिक्किम	0	0	0	14	6
21	तमिलनाडु	5770	764	2523	0	3367
22	त्रिपुरा	801	0	16663	0	57984
23	उत्तर प्रदेश	4359	1243	305	15990	16910
24	उत्तराखंड	0	0	0	939	259
25	पश्चिम बंगाल	43999	78678	106854	23503	4716
26	दादरा और नगर हवेली	558	2682	0	0	0
27	आंध्र प्रदेश	786	0	0	0	4
28	कर्नाटक	7550	0	77	0	0
29	लद्दाख	625	0	201	1	0
	कुल	685053	682798	1158590	441456	625814

अनुलग्नक 2

"अनुसूचित जनजातियों को आवास" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.04.2023 को पूछे जाने वाले लिए अतारांकित प्रश्न संख्या †5117 के उत्तर के भाग (क) से (छ) में संदर्भित अनुलग्नक 2

पीएमएवाई-जी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत अजजा 'शीर्ष' के तहत निर्मुक्त की गई निधियां (धनराशि)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	असम	16740.43	5850.00	40055.96
2	बिहार	11686.38	0.00	13001.50
3	छत्तीसगढ़	23975.67	11987.84	0.00
4	गुजरात	0.00	6913.44	42314.76
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	315.91	285.36
6	जम्मू और कश्मीर	2904.99	24063.69	4123.08
7	झारखंड	102337.64	68367.46	53946.99
8	केरल	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	97452.47	207071.00	164558.47
10	महाराष्ट्र	85084.16	64047.34	70300.76
11	मणिपुर	682.99	5162.36	1173.38
12	मेघालय	2003.75	18321.67	7814.56
13	मिजोरम	0.00	1616.21	4159.82
14	नागालैंड	0.00	1609.04	1637.13
15	ओडिशा	93287.20	118193.20	272.38
16	राजस्थान	117216.29	37501.30	44104.02
17	सिक्किम	1.25	0.00	52.59
18	तमिलनाडु	468.77	283.05	53802.16
19	त्रिपुरा	16071.59	7651.33	67029.47
20	उत्तर प्रदेश	0.00	6161.02	70576.34
21	उत्तराखंड	0.00	0.00	3685.50
22	पश्चिम बंगाल	179280.00	81201.82	0.00
23	दादरा और नगर हवेली दमन दीव	2000.00	0.00	0.00
24	कर्नाटक	1245.96	0.00	0.00
	कुल	**752439.54**	**666317.66**	**642894.20**

*****